

2018/00173

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

इन्डिस्ट्रियल जमाबन्दी (भा-उजाला)

बनाम

अकन

किस्म मुकदमा

उफरी

मुकदमा नं.

38

25/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/81 दिनांक 9/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक 3PPB की जमाबन्दी सम्वत् 2017-18 के खाता नं. 8 में खातेदार इन्डिस्ट्रियल-जमाबन्दी को जारी रखने के अंकित है। जिसका नाम इन्डिस्ट्रियल है। जिसकी इन्डिस्ट्रियल-जमाबन्दी को जारी रखने के खातेदार की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 9/5/18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 3PPB के खाता नं. 8 में दर्ज खातेदार इन्डिस्ट्रियल-जमाबन्दी को जारी रखने के खातेदार की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर
कैम्प कोर्ट
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर